संख्या– 27 /xxxvi(1)एक/08–23–एक(5)/2005

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
एफ0टी0सी0 बिल्डिंग, प्रथम तल,
कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 31 जनवरी, 2008

विषय– जिला देहरादून व उधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 12/xxxvi(1)एक/07–23–एक(5)/2005 दिनांक 7 फरवरी, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला देहरादून व उधमसिंहनगर में स्थापित एक–एक स्थायी लोक अदालत हेतु सृजित 10 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1–3–2008 से 28–2– 2009 तक बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त न्यायालयों के कार्यालय में पद धारण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी ।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेतर–800–अन्य व्यय–10–स्थायी लोक अदालत–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 समठित कार्यालय ज्ञाप संख्या– ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7–11–92,(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या– 27 (1)/xxxvi(1)एक/08–23–एक(5)/2005समदिनांकित्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड सजरा, देहरादून ।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3– जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/उधमसिंहनगर ।
4– वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर ।
5– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव,

niranjrata